

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 204/2024
दायर दिनांक :- 25.09.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/214
निर्णय दिनांक :- 09.04.2025

1. मूली पत्नी उरजाराम जाति जाट निवासी शैतानसिंहनगर तहसील व जिला फलोदी

-प्राथी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी शैतानसिंहनगर तहसील व जिला फलोदी
2. अजीजों पत्नी हबीबुल्ला जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
3. अजीजों पत्नी इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
4. अब्दुलसलाम पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
5. अमीनत पत्नी सफीमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
6. नाबालिग असमा पुत्री मेहताब संरक्षक कुदरती वली माता बिस्मिला पत्नी मेहताब
7. इलमदीन पुत्र हाजीमीरमोहम्मद जाति मुसलमान नि. हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
8. इलियास पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
9. छोटीबाई पत्नी सदामहुसैन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
10. जुनस पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
11. जुबेदा पत्नी युनुसखां जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
12. जुबेदा पत्नी हैदरअली जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
13. जाकुब पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
14. फारुक पुत्र मेहताब जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
15. बिस्मिला पत्नी मेहताब जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
16. बिस्मिला पत्नी जाकूब जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
17. बिस्मिला पत्नी अब्दुलरउफ जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
18. बिस्मिला पत्नी कासमखां जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
19. बिस्मिला पत्नी हबीबुला जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
20. मरवत पत्नी लालदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
21. मेहताब पुत्र कायमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
22. मेहबूब पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
23. रूकमा पत्नी मोडसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
24. इहमत पत्नी वकील अहमद जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
25. सखीना पत्नी सुलतान जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी

25/09/24

सुखाराम पिण्डेल
बाप (फलोदी)

26. सदामहुसैन पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
27. सुफिया पत्नी अब्दुलसलाम जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
28. सरादीनखां पुत्र अजीजखां जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
29. हैदरअली पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
30. हनीफो पत्नी इलमदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
31. हबीबखातु पत्नी मजीदखां जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तह. बाप जिला फलोदी
32. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 330/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर ग्राम खीरवा पटवार हल्का जोड तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा जारी आदेश क्रमांक संख्या 87 की पालना में दिनांक 15.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 15.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 15.06.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 32 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया

A —————
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 31 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीरवा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 330/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवासा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 15.06.2024 अनुसार अपनी हद्द में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीरवा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 330/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 15.06.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खीरवा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 330/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 15.06.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमोल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
 सहायक कलेक्टर एवं
 बाप (फलोदी) उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)